न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री उगमसिंह राजपुरोहित, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
02/2023	दावा 136LRA	10.01.2023	23.06.2023

फताराम पुत्र श्री चेतनराम जाति जाट निवासी ग्राम मेघसर तहसील व जिला चूरू
—प्रार्थीगण—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार
—अप्रार्थी—

प्रार्थना —पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री हीरालाल एडवोकेट वादी
2. पैरोकार राज उपस्थित।

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए. का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी गांव मेघसर तहसील व जिला चूरू का निवासी है जिसके खातेदारी का खेत गत खसरा संख्या 162 मीन तादादी 7 बीघा का प्रार्थी ने बैनामा दिनांक 30.12.2002 को हरदेवाराम पुत्र बालूराम जाति माली से खरीद किया गया था उस समय सहवन से प्रार्थी का नाम फताराम पुत्र चेतनराम के स्थान पर फतेहचन्द पुत्र चेतनराम अंकित हो गया एवं उसी अनुसार नामान्तरण एवं राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज हो गया एवं उसी अनुसार नामान्तरण एवं राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज हो गया जो एक सहवन व लिपिकीय भूल से हो गया था।

इसी अनुसार गत खसरा संख्या 162 मीन तादादी 7 बीघा जिसके वर्तमान खसरा संख्या 185, 355/186 कुल किता 02 कुल तादादी 1.6440 में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में सहवन से प्रार्थी का नाम फताराम के स्थान पर फतेहचन्द दर्ज हो गया व इसी नाम से राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी वर्तमान तक चालू है जबकि राजस्व रिकॉर्ड को छोड़कर सभी दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम फताराम पुत्र चेतनराम से बने हुए हैं यही सही नाम है।

प्रार्थी के आधार कार्ड, राशनकार्ड, पहचान पत्र आदि में फताराम पुत्र चेतनराम ही है व ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा बनाया गया प्रमाण पत्र भी इसी नाम से बनाया है यही नाम होना बताया है एवं इस नाम को अन्य व्यक्ति नहीं होना बताया है व प्रार्थी का सही नाम यही है।

खसरा नम्बर 162 मीन 7 [illegible] वर्तमान खसरा नम्बर 429/407 वाके रोही ग्राम मेघसर एवं खसरा [illegible] किता 02 कुल तादादी 1.6440 वाके रोही ग्राम मेघसर तहसील व [illegible] में प्रार्थी [illegible] नाम फताराम पुत्र चेतनराम हो गया जो गलत है। इस गलत बने राजस्व रिकॉर्ड के कारण प्रार्थी को अपनी क[illegible] से संबंधित योजनाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। केसीसी [illegible]गैरह भी नहीं बना स[illegible]सलिए गलत बने नाम को दुरूस्त किया जाकर प्रार्थी का सही नाम फताराम पुत्र चेतनराम राजस्व रिकॉर्ड में अवंकन किया जाना न्यायहित में आवश्यक है ताकि प्रार्थी के अधिकारों पर वितरीत प्रभाव नहीं पड़ सके, उचित लाभ से वंचित नहीं रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.30 11:10:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना– पत्र निर्धारित न्याय शुल्क पर अंदर मियाद पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि खसरा नम्बर 162 मीन 7 बीघा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 429/407 वाके रोही ग्राम मेघसर एवं खसरा नम्बर 185, 335/186 कुल किता 02 कुल तादादी 1.6440 वाके रोही ग्राम मेघसर तहसील व जिला चूरू में प्रार्थी खातेदार के नाम से बने राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में सहवन से दर्ज फतेहचन्द पुत्र चेतनराम के स्थान पर फताराम पुत्र चेतनराम संशोधित किया जाकर जमाबंदी को दुरूस्त किये जाने का आदेश तहसीलदार चूरू को दिया जावे।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए. का पेश करने पर प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार चूरू से जांच रिपोर्ट मंगवाई गो प्रशासन गांवों के संग अभियान–2023 में प्राप्त हुई । प्रशासन गांवो के संग अभियान में प्रार्थी व अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित हुए । जिस पर अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी जाकर पत्रावली व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया।

प्रार्थना पत्र में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी खेत खसरा नम्बर 162 मीन तादादी 7 बीघा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 429/407 वाके रोही ग्राम मेघसर एवं खसरा नम्बर 185, 335/186 कुल किता 02 कुल तादादी 1.6440 वाके रोही ग्राम मेघसर तहसील व जिला चूरू में वादी का गलत नाम लिपिकीय त्रुटी से अंकित होना बताया गया जिसे दुरूस्त करवाये जाने हेतु निवेदन किया है जो नामान्तरण के समय सहवन से दर्ज होना बताय है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात् जामबंदी सम्वत् 2071 से 2074 खसरा नम्बर 429/407 रोही ग्राम मेघसर तहसील व जिला चूरू में वादी का नाम फतेहचन्द पुत्र चेतनराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट निवासी मेघसर खातेदार दर्ज है तथा जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 खसरा नम्बर 185, 335/186 में प्रार्थी का नाम फतेहचन्द पुत्र चेतनराम हिस्सा 1/4 निवासी मेघसर खातेदार दर्ज है।

प्रस्तुत प्रामण पत्र ग्राम पंचायत देपालसर में फताराम का समस्त दस्तावेजों में फताराम अंकित होना बताया है तथा राजस्व रिकॉर्ड में फतेहचन्द अंकित होना बताया है तथा फताराम तथा फतेहचन्द दोनों एक ही व्यक्ति को बताया गया है। आधार कार्ड, पहचान पत्र व पेन कार्ड में प्रार्थी का नाम फताराम पुत्र चेतनराम अंकित है। तथा रिपोर्ट तहसीलदार चूरू में प्रार्थी का नाम फतेह चन्द की बजाय फताराम किये जाने की अभिशंसा की गई है तथा फतेहचन्द व फताराम दोनो एक व्यक्ति के नाम होना बताया है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर पत्रावली, पेश दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का झारिया का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष द्वारा की गई बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। प्रार्थी की ओर से अपनी ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी का नाम सहवन से प्रश्नगत भूमि खेत खसरा नम्बर 429/407, 185, 335/186 में फताराम की बजाय फतेहचन्द अंकित होना बताया है । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम फताराम पुत्र चेतनराम अंकित है तथा प्र[illegible]ाम पंचायत देपालसर में प्रार्थी का नाम फताराम बताया है तथा फताराम व फतेहचन्द [illegible]ित बताये है तथा रिपोर्ट तहसीलदार चूरू में प्रार्थी का नाम [illegible] राजस्व [illegible]ड में अंकित करना बताया है तथा फताराम व फतेहचन्द दोनो एक ही व्यक्ति के नाम होना बताया है। इस प्रकार उक्त त्रुटि सहवन से होना प्रमाणित होती है एवं लिपिकीय भूल [illegible] श्रेणी में ही आती है जिसको सही अंकित करवाने के लिए प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा पैरोकार राज ने भी इस प्रकार के संशोधन को स्वीकार किया जाना उचित बताया है। साथ ही इस प्रकार के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.30 11:10:16 IST
Reason: SelfAttested

संशोधन से सह खातेदारों के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना भी नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उचित होने से स्वीकार किया जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि खसरा 429/407, 185, 335/186 रोही ग्राम मेघसर तहसील व जिला चूरू की जमाबंदी में अंकित खातेदार क्रमशः 1 व 5 के नाम में संशोधन किये जाकर निम्न प्रकार से अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है:–

क्रम सं.	खाता संख्या	खसरा संख्या	नम
1	80	429/407	फताराम पुत्र चेतनराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट निवासी मेघसर
2	72	185 335/186	फताराम पुत्र चेतनराम हिस्सा 1/4 जाति जाट निवासी मेघसर

तहसीलदार, चूरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

आदेश आज दिनांक 23.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवो के संग अभियान ग्राम देपालसर के मजमे आम में सुनाया गया।

(उगमसिंह राजपुरोहित आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.30 11:10:16 IST
Reason: SelfAttested